

ने जवाब पेश किया / वास्ते बहस T.I. पत्रावली दि० 9-2-18 को पेश हो।

3

9-2-18 पत्रावली पेश हुई/वकील कदी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेंट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी समय पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/तस्मिन् हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9-3-18 को पेश हो।

लोकर

9-3-18 वकील उभयपक्ष उप०) वास्ते बहस T.I. पत्रावली दि० 9-3-18 को पेश हो।

3

28-3-18 पत्रावली पेश हुई/अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी मद्देनय तौर पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दि० 24-4-18 को पेश हो।

रिडर

24-4-18 वकील उभयपक्ष उप०) वास्ते बहस T.I. पत्रावली दि० 8-5-18 को पेश हो।

3

8-5-18 वकील उभयपक्ष उप०) पत्रावली दि० 16-5-18 को राजस्व कैम्प कामनवडौदा पर दावे के साथ पेश हो।

जम जिला कोल्कर गंगपुर सिटी

16-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कामनवडौदा पर पेश हुई। प्राथीगण प्रकाश व इन्द्राज उप०) इन्होंने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ने अपना दावा विद्वाल कर लिया है। अतः यह T.I. प्रा०पत्र भी विद्वाल में स्विकरित कर दिया जावे।

इन्द्राज प्रकाश

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार कर प्राथीगण को T.I. प्रा०पत्र विद्वाल करने की अनुमति दी जाती है व T.I. प्रा०पत्र इसी अनुसार स्विकरित किया जाता है। पत्रावली फैसल नुसार होकर नम्बर से क्रम हो।

(बंकि कुमार शर्मा) (सतीश कुमार शर्मा) (काबूलनाथ जाट)

नरसिंह लोकर अध्यक्ष लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत गंगपुर सिटी गंगपुर सिटी गंगपुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट)
कैंप कोर्ट का स्थान :- वामन वडोदा

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 16/5/2018

पीठासीन अधिकारी महोदय,

वामन वडोदा

मकेश कोठे

बनाम

हरबासिंह कोठे

संख्या -

27/2017

अन्तर्गत धारा

धारा 202 R.T.A. / -

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री मकेश गुणर धीरेकाठ, एवं इन्द्राज गुणर एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी
है कि उक्त उन्वान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सकती है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
अतः आपकी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

प्रार्थी/वादी ने उन्वान उन्वान के कामकाज पर उन्वान उन्वान को सौंप दिया है। उन्वान उन्वान को सौंप दिया है। उन्वान उन्वान को सौंप दिया है। उन्वान उन्वान को सौंप दिया है।

अतः आपसे निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- 1. इन्द्राज
- 2. _____
- 3. मकेश
- 4. _____

- प्रतिवादी पक्ष 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____




हस्ताक्षर ससमि
नाम वामन पंचादन वामन वडोदा

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर _____
(प्रतिवादी पक्ष) नाम _____

अतः, उक्त मकेश गुणर धीरेकाठ, एवं इन्द्राज गुणर एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी हरबासिंह कोठे
है कि उक्त उन्वान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सकती है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
अतः आपकी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है। उन्वान उन्वान को सौंप दिया है। उन्वान उन्वान को सौंप दिया है। उन्वान उन्वान को सौंप दिया है। उन्वान उन्वान को सौंप दिया है।

(ह0 सदस्य)
नवि कुमार शर्मा
उप-सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)
सतीश कुमार शर्मा
उप-सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी


(आबुलाल जाय)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी